उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-130/2017/1280/92-2-2017-10जॉच/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 26 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-फिरोजाबाद में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो की महालेखाकार की सम्प्रेक्षा दल द्वारा दिनांक 22-02-2016 से 27-02-2016 तक किये गये आडिट में परिलक्षित रू0 15,62,108.00 का अधिक व्यय करने की अनियमितता के क्रम में अधीक्षण अभियंता के पद के दायित्वों के प्रति सजग न रहने, अपने अधीनस्थ कार्यो व कार्मिको पर नियंत्रण न रखने, उच्चाधिकारियों के अधिकारो का अतिक्रमण करने, उ0प्र0 शासन द्वारा परिचालित दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य न करने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री रूपेश कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा को आरोप पत्र देते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुए जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-130/2017/1280(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी-143/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/728-अनु0कार्य0/2017-18 दिनांक 22-05-2017 के क्रम में।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को को अनुमोदित आरोप पत्र की संलग्नक सहित प्रति (दो प्रतियों में) इस आशय से प्रेषित कि आरोप पत्र में यथास्थान अपने हस्ताक्षर कर अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये प्राप्ति रसीद शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **(छायाप्रति संलग्न)**

3- मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- श्री रूपेश कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-आगरा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in